कार्यालय,विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(भारत सरकार),
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTRERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRERPRISES
Government of India
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110011

Ph. EPABX-23022220, 23022211.23022212, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315,23061726, 23061068, e-mail:- dc-msme@nic.in

5(2)/2007 -एमएसएमई नीति — दिनांक 27.12.2007

सेवा में,

आयुक्त (उद्योग)
कार्यालय आयुक्त ,
उद्योग विभाग,
जयपुर -202005

विषयः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजकीय उपक्रम को उद्यमी ज्ञापन जारी करने के संबंध में ।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजकीय उपक्रमों को भी अधिनियम की धारा 7(1) के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी ज्ञापन की अभिस्वीकृति सूचना निर्गत की जा सकती है ।

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 7(1) के अनुसार विनिर्माण उद्यम, जो औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची मे वर्णित उद्योगों से संबंधित किसी भी मद के विनिर्माण या उत्पादन में लगे है, को उनके संयत्र व मशीनरी में निवेश के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और ऐसे सभी उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 8(1) के अनुसार उद्यमी ज्ञापन की अभिस्वीकृति सूचना जारी की जा सकती है ।

भवदीय

(पी० के० सिनहा)
उपनिदेशक, (एम एस एम ई नीति)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राज0 जयपुर – 05

कमांक : एफ 15 (2)आयु0उ0/पंजी.अनु./एमएसएमई/हनुमानगढ़/2007 — दिनांक : 22-01-08

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 4018 दिनांक 31.10.07 में चाहे गए मार्गदर्शन के कम में अग्रिम कार्यवाही हेतु।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
3. सहायक निदेशक, उद्योग/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
4. नीति पत्रावली संख्या एफ 15 (1)आयु0उ0/पंजी0अनु0/एमएसएमई–नीति/2008 में रिकॉर्ड हेतु।
5. मास्टर फाइल।

उप निदेशक, उद्योग